15

ब अदालत श्री मान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0-

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

बैजनाथ तनय हीरालाल सोनी निवासी ग्राम त्योंधरा नं0 2 तहसील
अमरपाटन जिला-सतना म0प्र0 ---आवेदक/निगराकार,

//बनाम// R 1466/III/06

C.P. 815/-

1. मुसा0 चन्द्रावती पत्नी आदित्य प्रसाद ब्रा0 निवासी ग्राम परसवारा तहसील मैहर जिला-सतना म0प्र0-

2. हरीशंकर प्रसाद
3. राजेन्द्र प्रसाद
4. हनुमान प्रसाद
5. सत्यधन प्रसाद

पिसरान् आदित्य प्रसाद ब्रा0 सभी निवासी ग्राम परसवारा पो0 आफिस कुसेडी तहसील मैहर जिला-सतना म0प्र0:--

---अनावेदक/गैरनिगराकार,

Presented by Shri M. P. Gupta Advocate 23/6/6

विषय:- निगरानी विरूद्ध अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के अपील प्र0क्र0-23/अपील/97-98 आदेश दिनांक -11.04 2006

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई. ।

क्रमांक ______
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 25/7/06 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

आवेदक/निगराकार की निगरानी निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

1. निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आवेदक/निगराकार ने मौजा ग्राम त्योंधरा नं0 2 तहसील अमरपाटन की आराजी नं0 767 रकवा 1.77डि0 को अनावेदक /प्रतिवादी गणों के स्व0 पिता श्री आदित्य प्रसाद ब्रा0 पूर्व निवासी ग्राम त्योंधरा नं0 2 से कच्ची विक्रय टीप

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1466–तीन/2006 जिला –सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 23/अपील/97–98 में पारित आदेश दिनांक 11.4.06 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है अनावेदकगण ने विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 109/10 के तहत भूमि नंबर 767 रकबा 1.77 एकड़ का रूपये 875/– में कय कर कब्जा दखल ले लिया था, इस हेतु विचारण न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से तहसीलदार ने आवेदन स्वीकार कर नामांतरण करने के आदेश दिये, इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार	

की गई, इससे परिवेदित होकर चन्द्रावती आदि ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा सारहीन होने के कारण निरस्त की जिसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

3-आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया है कि आवेदकगण ने विवादित आराजी के भूमिस्वामी आदित्य प्रसाद ने अनावेदक से दिनांक 23.9.75 को रूपये 875/- क्रय की गई थी और उसी के आधार पर नामांतरण चाहा गया था जो तहसीलदार ने आवेदकगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर नामांतरण के आदेश दिये जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विक्रय टीप को सही नहीं माना है जबकि लेखक एवं साक्षियों ने टीप प्रमाणित किया। आवेदक 1975 से आज तक काबिज है। अंत में अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

4- अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने

तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया । अभिलेख देखने से यह प्रतीत होता है कि कच्ची बेची टीप 875/– रूपये की है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा –54 के अनुसार 100/– रूपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति का रजिस्ट्री करण होना आवश्यक है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 11.4.2006 स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य